महत्वपूर्ण/समयबद्ध

प्रेषक,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
जनपद–आगरा/ अलीगढ़/ मुरादाबाद/ वाराणसी/ बॉदा/ अयोध्या/बस्ती।

पत्रांक– 1097 /सा0–एक/एक्स–120(7)/पा0क्ली0किया0/2021–22, दिनांक 14 फरवरी,2022

विषयः **वित्तीय वर्ष 2021–22 में पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक का संचालन एवं सुदृढ़ीकरण(राज्य योजना) में शासनादेश संख्या–100/2021/1556/सैंतीस–2–2021–1(2)/2013टीसी, दिनांक 08.09.2021 द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0 185.83 लाख के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में आवंटित धनराशि रू0 15.20 लाख एवं पूँजीगत पक्ष में आवंटित धनराशि रू0 16.00लाख के व्यय के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के आवंटन आदेश सं0–2373/बजट/29(5)/अनु0–15/11/2021–22 दिनांक 04.02.2022 एवं आदेश सं0–2374/बजट/29(5)/4403/06/2021–22, दिनांक 04.02.2022 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 में अनुदान संख्या–15 के अन्तर्गत पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक का संचालन एवं सुदृढ़ीकरण(राज्य योजना) में शासनादेश संख्या–100/2021/1556/सैंतीस–2–2021–1(2)/2013टीसी, दिनांक 08.09.2021 के माध्यम से अवमुक्त धनराशि रू0 185.83 लाख के अन्तर्गत **राजस्व पक्ष** में आवंटित धनराशि **रू0 15.20 लाख** एवं **पूँजीगत पक्ष** में आवंटित धनराशि **रू0 16.00लाख** के समक्ष आपके जनपद में स्थापित पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक के संचालन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु भी विभिन्न मानक मदों में धनराशि आवंटित की गई है। योजनान्तर्गत बजट अनुभाग के उक्त आवंटन आदेश दिनांक 04.02.2022 में प्रश्नगत धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश में इंगित शर्तों/दशाओं का अनुपालन करने के दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में निम्न बिन्दुओं/निर्देशों का भी अनुपालन/संज्ञान लेते हुये, जनपद में स्थापित पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक के संचालन एवं सुदृढ़ीकरण पर ही आवंटित धनराशि का व्यय किया जायेः–

- विभिन्न मानक मदों में धनराशि के व्यय हेतु आवश्यक निवेशों की आवश्यकता का ऑकलन पशुचिकित्सा पालीक्लीनिक के प्रभारी के परामर्श/सलाह से की जाए।
- प्रश्नगत धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2021–22 में ही किया जाना है।
- मानक मद 26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र में आवंटित धनराशि **पूँजीगत मद की है।** फलतः उक्त मद का संज्ञान लेते हुये ही संयंत्र/उपकरण/मशीनों का क्रय/व्यवस्था की जाये।
- ***योजना में फर्नीचर, उपकरण/संयंत्र एवं सामग्री आदि का क्रय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग/सूक्ष्म लघु एवं मध्यम् उद्यम् विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेण्ट मैनुअल(प्रोक्योरमेण्ट ऑफ गुड्स)–2016, एवं विभागीय क्रय नीति(GeM) का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित् करते हुये किया जाय।***

- योजना में उपकरणों, मशीनों की औचित्यपूर्ण आवयकता के सापेक्ष इनका क्रय प्राथमिकता के आधार पर **GeM-Portal** के माध्यम् से किया जाय। **GeM-Portal** पर एवं केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा अनुमोदित फर्मों व दर की सूची से प्राथमिकता के आधार पर तथा फर्म/दर अनुमोदित न होने की स्थिति में आकस्मिकता की दशा में ही, स्थानीय स्तर पर भण्डार क्रय नियमों के अन्तर्गत क्रय करना सुनिश्चित करें।
- विभागीय विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुमोदित सूची के समक्ष कतिपय सामानों की ***GeM*** पर एवं विभागीय दर के निर्धारण न होने की दशा में बाहर से क्रय की जाने वाली दवाओं/उपकरणों/सामग्री/फर्नीचर आदि का क्रय वर्तमान स्थानीय बाजार दरों से अधिक नहीं होना चाहिये।
- मानक मद 39–औषधि तथा रसायन में आवंटित धनराशि से योजना के कियान्वयन हेतु आकस्मिकता एवं औचित्यपूर्णता को दृष्टिगत रखते हुये, आवश्यक औषधियों एवं रसायनों की व्यवस्था के लिये, केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा अनुमोदित फर्मों व दर की सूची से प्राथमिकता के आधार पर तथा फर्म/दर अनुमोदित न होने की स्थिति में स्थानीय स्तर पर भण्डार क्रय नियमों के अन्तर्गत क्रय करना सुनिश्चित करें एवं उक्त आपूर्ति के सापेक्ष नियमानुसार इनके भुगतान पर धनराशि का व्यय किया जायेगा।
- मानक मद 43–सामग्री एवं सम्पूर्ति में आवंटित धनराशि विभागीय विशेषज्ञ समिति द्वारा पशुचिकित्सा पाली क्लीनिकों हेतु अनुमोदित सामग्रियों में से ***सम्बन्धित पशुचिकित्सा अधीक्षक/प्रभारी से स्थानीय आवश्यकता के सापेक्ष मांग को दृष्टिगत रखते हुये*** सामग्रियों की व्यवस्था हेतु आवश्यकतानुसार सामग्रियों का चयन कर ***प्राथमिकता के आधार पर*** **GeM-Portal** ***के माध्यम् से इनका क्रय किया जाय।*** **GeM-Portal** पर एवं केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा अनुमोदित फर्मों व दर की सूची से प्राथमिकता के आधार पर तथा फर्म/दर अनुमोदित न होने की स्थिति में, आकस्मिकता की दशा में ही, स्थानीय स्तर पर भण्डार क्रय नियमों के अन्तर्गत क्रय करना सुनिश्चित करें।

अतः उपरोक्त निर्देशों का कढ़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

14/10/22

(डा0 इन्द्रमनि)
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास।

पत्रांक– /सा0–एक/एक्स–120(7)/पा0क्ली0किया0/2021–22, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–

1. प्रभारी, पशुचिकित्सा पालीक्लीनिक, आगरा/ अलीगढ़/ मुरादाबाद/ वाराणसी/ बॉदा/ अयोध्या/बस्ती को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि पशुचिकित्सा पालीक्लीनिक हेतु विभिन्न मानक मदों में आवश्यक निवेशों/संसाधनों की आवश्यकता का ऑकलन कर मुख्य पशुचिकित्साधिकारी से समन्वय करते हुये नियमानुसार पशुचिकित्सा पालीक्लीनिक के संचालन एवं सुदृढ़ीकरण पर धनराशि का व्यय सुनिश्चित करायें।
2. अपर निदेशक, ग्रेड–2, पशुपालन विभाग, मण्डल–आगरा/ अलीगढ़/ मुरादाबाद/ वाराणसी/ बॉदा/ अयोध्या/बस्ती को सूचनार्थ प्रेषित।

(डा0 इन्द्रमनि)
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास।

POLY-21